

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या-341/2019

सुजाता कुमारी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

..... विपक्षीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार

याचिकाकर्ता के लिए: श्री विजय शंकर झा, अधिवक्ता

विपक्षीगण के लिए: श्री नवीन कुमार, अधिवक्ता

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामला उठाया गया। पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को इसके साथ कोई आपत्ति नहीं थी और निवेदन किया कि ऑडियो और वीडियो की गुणवत्ता ठीक है।

04/दिनांक 07 जनवरी, 2022

1. वर्तमान सिविल विविध याचिका, रिट याचिका सं0 778/2009 की पुनःस्थापन हेतु दायर की गई है, जिसे 27.03.2019 को गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया है।
2. विपरीत पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।
3. पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और वर्तमान सिविल विविध याचिका में बताए गए कारणों पर विचार करने के बाद, रिट पीटिशन सं0 778/2009 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।
4. सिविल विविध याचिका की अनुमति है।

(राजेश कुमार, न्याया0)